

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
(महिला एवं बाल विकास विभाग)
2, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर

क्रमांक:एफ.1(1)(27)स्था/आईसीडीएस/13/पीटी/2815

जयपुर, दिनांक: 2-1-2018

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 182941 दिनांक 21.11.2017 में आंशिक संशोधन करते हुये क्रम संख्या 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13 एवं 14 में अंकित बाल विकास परियोजना कार्यालयों के लिए निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित अधिकारियों को आहरण वितरण का कार्य किये जाने हेतु तुरन्त प्रभाव से अधिकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	नाम बाल विकास परियोजना अधिकारी जिन्हे आहरण वितरण के कार्य हेतु अधिकृत किया जाना है
1.	घाटोल (बांसवाडा)	बाविपअ घाटोल (बांसवाडा)
2.	भीम (राजसमंद)	बाविपअ भीम (राजसमंद)
3.	सम (जेसलमेर)	बाविपअ सम (जेसलमेर)
4.	श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)	बाविपअ श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)
5.	अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)	बाविपअ अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)
6.	भिनाय (अजमेर)	बाविपअ मसूदा (अजमेर)
7.	करौली	बाविपअ हिण्डौन सिटी (करौली)
8.	गंगापुरसिटी शहर (स.मा.)	बाविपअ गंगापुरसिटी ग्रामीण (स.मा.)
9.	नीमराणा (अलवर)	बाविपअ बहरोड (अलवर)

(YAV)
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:एफ.1(1)(27)स्था/आईसीडीएस/13/पीटी/2816-858

जयपुर, दिनांक: 2-1-2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीया राज्य मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं राज0 जयपुर।
4. जिला कलक्टर.....।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
6. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग.....।
7. बाल विकास परियोजना अधिकारी.....।
8. व्यक्तिगत/आदेश पत्रावली।

(YAV)
उपनिदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।